राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/WAM/2016/13545–558 दिनांक 04/01/2017

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/वित्तीय सलाहकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर.
3. मुख्य अभियन्ता/ वित्तीय सलाहकार, जलसंसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय एवं आर.डब्लयू.एस.एस.बी.)/वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/ जैसलमेर
6. विकास आयुक्त/ वित्तीय सलाहकार सी.ए.डी. कोटा
7. विकास आयुक्त/ वित्तीय सलाहकार सी.ए.डी. बीकानेर

विषयः– WAM मॉड्यूल पर निमार्ण खण्डों द्वारा किये गये संव्यवहारों में संशोधन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(3)एफडी/जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 18.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्माण विभागों के संव्यवहार कोषालयों के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने के पश्चात निर्माण खण्डों द्वारा निर्माण लेखों के अन्तर्गत जमा कराये गये राजस्व (ई–ग्रास एप्लीकेशन के माध्यम से चालान जनरेट कर) एवं कोषालय के माध्यम से पारित कराये जाकर भुगतान किये गये बिलों में कोषालय द्वारा मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करने के पश्चात निम्न प्रकार के संशोधन WAM मॉड्यूल पर किये जाने के प्रस्ताव कोषालयों/निदेशालय कोष एवं लेखा को प्रेषित किये जाते है।

1. सी.आर. प्रविष्ठी को निर्माण लेखों में सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में।
2. सी.आर. प्रविष्ठी में त्रुटीवश गलत चयन की गई स्कीम में संशोधन कराने के सम्बन्ध में।
3. बजट मद 8443–108 व 109 डिपोजिट मद में जमा राशि की प्रविष्ठी में डिपोजिट का प्रकार II, III V में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में।
4. समायोजन के बिल, जिसमें बिल की सम्पूर्ण राशि BY बी.टी. कटौति की जाकर उसी मुख्य शीर्ष में जमा हुई हो, को निर्माण लेखों में सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में।
5. निर्माण बिलों में कार्य की प्रतिशतता का गलत चयन होने तथा First Bill, Running Bill व Final Bill की स्थिति का गलत चयन होने पर उसमें संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रकार के संशोधनों हेतु निर्माण खण्डों द्वारा त्रुटि ध्यान में आने पर संशोधन हेतु प्रस्ताव विभाग के वित्तीय सलाहकार के माध्यम से जांच कर कारण सहित सम्बन्धित कोषाधिकारी को प्रेषित किये जायेगें। कोषाधिकारी द्वारा निर्माण विभाग के वित्तीय सलाहकार के माध्यम से प्राप्त संशोधन प्रस्ताव के अनुसार आवश्यक संशोधन किये जाने के पश्चात संबंधित निर्माण खण्डों के उस माह के लेखों के संशोधित

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

शिड्यूल जिन पर संशोधन का प्रभाव पड़ा हो, महालेखाकार कार्यालय को कोषालय के आगामी माह के लेखों के साथ प्रस्तुत किये जायेगें।

ऐसे समस्त संशोधन जिनका प्रभाव निर्माण खण्डों के फॉर्म–80 एवं कोषालय के मासिक लेखों पर होता है, के संबंध में वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.03.2016 के बिन्दु संख्या 8 में वर्णित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/WAM/2016/13559-599 दिनांक 04/01/2017

प्रतिलिपी :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उपमहालेखाकार (लेखें), प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. कोषाधिकारी समस्त।
3. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, (WAM) एन.आई.सी. जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ. ( )लेखा/वाम/प्रमुवसं/2016–17/ 8849-949 दिनांक 17.1.17

1. मूल ही समस्त वन खण्ड कार्यालयों को पालनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा, अरण्य भवन को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभाग की साईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752